



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

### अधिसूचना

क्रमांक १४/।। /अका/२००६

रायपुर, ३० नवम्बर २००६

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १४.११.२००६ में लिये गये निर्णय के अनुसार वे परीक्षार्थी जिन्होंने पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् लिखित उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त की है तथा यदि पूर्व में उन्हें प्राप्त अंकों से असंतुष्ट है तो वे पुनः कुलपति जी को संबोधित करते हुये अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वे इस हेतु आवेदन पंद्रह दिवस के अंदर रु.३००/- प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं।

संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इसका मूल्यांकन तीन-सदस्यीय परीक्षकों के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हो) मूल्यांकन कराया जायेगा। संबंधित सदस्यों के पैनल के द्वारा जो अंक प्राप्त होंगे वे अंतिम अंक माना जावेगा परन्तु इसकी गणना पुर्नमूल्यांकन नियम के अनुसार होगी।

आदेशानुसार,

*Ce ५७*

(के.के.चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक १४/।।/अका/२००६

रायपुर, ३० नवम्बर २००६

प्रतिलिपि-

१. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
२. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग.शासन, शास.विज्ञान महा.परिसर, रायपुर।
३. प्राचार्य, समस्त संबद्ध संबंधित महाविद्यालय, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
४. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र, रायपुर की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित कि कृपया इस समाचार को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
५. उपकुलसचिव (परीक्षा), उपकुलसचिव (अकादमिक), विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी (गोपनीय), पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
६. कुलअनुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
७. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.श.वि.वि., रायपुर।

*Ce ५७*  
कुलसचिव